न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बापिणी

पीठासीन अधिकारीः— अमिता विश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः—52/2023

वादीः—

1. दयाराम सारण पुत्र श्री मल्लाराम
2. गणपतराम पुत्र श्री खेराजराम
3. पपाराम पुत्र श्री खेराजराम
4. तिलाराम पुत्र श्री मलाराम
5. मदनलाल पुत्र श्री मलाराम
6. हीराराम पुत्र श्री मलाराम

सभी जाति जाट, निवासी हड़मानसागर, तहसील बापिणी, जिला फलोदी।

बनाम

प्रतिवादीगणः—

1. श्रीमती दाखु पत्नी मंगनाराम, जाति सुथार, निवासी ग्राम कड़वा, तहसील बापिणी, जिला फलोदी।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बापिणी।
3. दमाराम पुत्र मंगनाराम फौत के कायम मुकाम
   3/1 भंवरलाल पुत्र दमाराम
   3/2 पुखराज पुत्र दमाराम
   3/3 चन्द्रप्रकाश पुत्र दमाराम
   3/4 मोहनीदेवी पत्नी दमाराम
   3/5 संगीता पुत्री दमाराम
   3/6 ओमीदेवी पुत्री दमाराम
   3/7 खम्मादेवी पुत्री दमाराम
   3/8 मंजु देवी पुत्री दमाराम
   सभी जाति सुथार निवासी कड़वा, तहसील बापिणी, जिला फलोदी।
4. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ इंडिया, शाखा मतोड़ा।

उपस्थित —

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रमसिंह उपस्थित।
प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित।
प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

सहायक कलेक्टर बापिणी

—::निर्णय::—

दिनांकः— 13/8/25

वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः— वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम मेपां, पटवार हल्का बेदू, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 26 रकबा 11.0398 हैक्टेयर यानि 68 बीघा 04 बिस्वा भूमि आई हुई है। उक्त कृषि भूमि के पूर्व खातेदार पताराम पुत्र बींजाराम, जाति सुथार ने उक्त रकबे में से अपना 1/2 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि यानि 34 बीघा 02 बिस्वा भूमि वादीगण को दिनांक 05.01.2022 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान से बेचान कर दी थी एवं भौतिक कब्जा काश्त अनुसार कब्जा भी मौके पर करवा दिया गया था तथा पूर्व खातेदारों के मध्य भौतिक रूप से बंटवाड़ा किया हुआ है लेकिन राजस्व रेकर्ड में तरमीम नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 01 वादीगण के कब्जा काश्त में आये दिन दखलंदाजी कर रही है जिस हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार समझाया गया कि अपन सहमति से 1/2—1/2 हिस्से का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस की पद्वति के अनुसार तहसील में जाकर करवा देते है मगर प्रतिवादी संख्या 1 बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस की पद्वति अनुसार बंटवाड़ा करवाने हेतु तैयार नही है। इसलिए मजबूरन वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय उक्त वाद प्रस्तुत करना पड़ रहा है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 अपने—अपने 1/2—1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज चले आ रहे है तथा शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि का विभाजन माप व सीमांकन के आधार पर नहीं किया गया है तथा राजस्व नक्शे व मौके पर सामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त में है। विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि बाई मिट्स व बाउण्ड के बंटवाड़ा किये बिना प्रतिवादी संख्या 01 सह खातेदारी की उक्त कृषि भूमि को अन्य किसी भी दीगर सख्स को बेचान हस्तान्तरण नहीं कर सकते है। वादीगण द्वारा अपने हिस्से की भूमि का सीमांकन करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 01 से निवेदन किया तथा साथ ही प्रतिवादी संख्या 01 को आपसी समझौते से विभाजन करवाकर नक्शे में तरमीम करवा लेने का कहा तो प्रतिवादी संख्या 01 इसके लिए तैयार नहीं हुए तथा स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा धमकी दी गई कि वादीगण को कभी भी अपने हिस्से की भूमि में नलकूप खुदवाने नहीं दुंगी तथा न ही कृषि कार्य

सहायक कलेक्टर बापिणी

करने दुंगी। विवादित भूमि का हिस्से अनुसार नक्शे में तरमीम नहीं होने के कारण वादीगण सह खातेदारी की भूमि में प्रत्यंक इंच का सह खातेदार है तथा अपने हक हिस्से पर काश्त करने व रहवास करने के पूर्ण अधिकारी है। वाद कारण दिनांक 25.05.2022 को बमुकाम ग्राम मेपा तहसील बापिणी में उत्पन्न हुआ। वादीगण ने प्रार्थना की कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वाद के पद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का हिस्से अनुसार विभाजन माप व सीमांकन के आधार पर बाई मिट्स व बाउण्ड्स वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य किये जाने की विभाजन की डिक्री पारित फरमाई जावें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 बिना बंटवाड़ा करवाये, वादीगण के हक हिस्से व काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करवावें तथा न ही उक्त भूमि का बेचान हस्तान्तरण स्वयं करें न ही किसी अन्य से करवावें तथा वादीगण को उनके हिस्से की भूमि में नलकूप खुदवाने एवं विद्युत सम्बन्ध लेने में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न ही किसी अन्य से करावें।

यह है कि वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया। प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड एडी से सम्मन भेजे गये जिसकी डाक रसीदें शामिल पत्रावली की गयी। न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के लिये पर्याप्त अवसर और समय दिया गया, बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी प्रतिवादी संख्या 1 ना तो स्वयं और ना ही अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित हुई। अतः दिनांक 19.02.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

कार्यवाही को आगे जारी रखते हुये अधिवक्ता वादीगण बहस सुनी गयी। वादीगण अधिवक्ता ने वाद पत्र के पैराज को दोहराते हुये बताया कि वादीगण व प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि के संयुक्त खातेदार है। वादीगण अपने 1/2 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने 1/2 हिस्से के अनुसार अंदाजिया तौर से काबिज है और काश्त करते आ रहे है। चूंकि वादग्रस्त भूमि का विधिवत बंटवाड़ा नहीं हुआ है अतः वादीगण अपने हिस्से की भूमि पर विकास कार्य नहीं करवा पा रहे है। वादीगण संयुक्त खातेदारी भूमि में से अपने हक हिस्से अनुसार बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी है। इसलिए

सहायक कलेक्टर बापिणी

वादग्रस्त भूमि पर मौका व कब्जा काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस से विभाजन हेतु आदेश फरमाया जावें।

वादी संख्या 1 द्वारा खातेदार दमाराम पुत्र मगनाराम जो वाद में पक्षकार नहीं होने तथा फौत होने से इनके वारिसान को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सीपीसी एवं आदेश 01 नियम 10 का पेश किया जो स्वीकार किया गया तथा संशोधित वाद शीर्षक शामिल पत्रावली किया गया। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 व 3 को बार–बार पर्याप्त अवसर देने के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही पहले ही अमल में लाई जा चुकी है।

दिनांक 19.02.2025 को विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई जिसकी अनुपालना में तहसीलदार बापिणी द्वारा दिनांक 06.06.2025 को विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत किया गया। बंटवाड़ा प्रस्ताव पर किसी भी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई।

–::आदेश::–

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम मेपां, पटवार हल्का बेदू, तहसील बापिणी, जिला जोधपुर के खसरा नम्बर 26 रकबा 11.0398 हैक्टेयर यानि 68 बीघा 04 बिस्वा बाबत् तहसीलदार बापिणी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शे अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि का विभाजन किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के उक्त हिस्से व कब्जे में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं करें इसी आशय की डिक्री अलग से जारी की जावें। बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार बापिणी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बापिणी

आज दिनांक 13/8/25 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बापिणी